कार्यालय नगर पंचायत चनपटिया।

पत्रांक 543 / दिनांक 19/08/16 /

(245)

प्रेषकः— कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चनपटिया।

सेवा में,

महालेखाकार
पटना बिहार।

विषयः— ऑडिट रिपोर्ट संख्या 228/13—14 का उत्तर प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि निदेशानुसार ऑडिट रिपोर्ट संख्या 228/13—14 का उत्तर प्रतिवेदन अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

US-7
149
SO-7
12/09/16

विश्वासभाजन

19/08/16
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चनपटिया।

ज्ञापांक 543 / दिनांक 19/08/2016/

प्रतिलिपि:— नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

19/08/16
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चनपटिया।

19/08/16

244

Para 4. Last and previous audit reports	पूर्व मे प्राप्त सभी audit reports का Compliance भेजा जा चुका है।
Para 5. Overview	प्रशिक्षित कर्मीयों की कमी के कारण ऐसी भुल हुयी थी। आडिट के समय कोषागार पंजी कोषागार बेतिया मे जमा रहने के कारण आडिटर को उपलब्ध नही कराया जा सका। आडिट निर्देश के मुताविक अगले आडिट में निर्देश का पालन अवश्य ही किया जायेगा।
Para 6. Important audit findings	सूचनात्मक पारा है, विलोपित करने की कृपा की जाए।
Para 7. Internal audit	कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अन्त मे रोकड बही की जॉच की जाती रही है। एवं इसकी जानकारी निर्वाचित मंडल की बैठक में सभी सदस्यो को दी जाती है। इन्टरनल आडिट के लिए चार्टेड एकाउन्टेन्ट से सम्पर्क किया गया है, जिसे छः माह के अन्दर पूरा करा लिया जायेगा।
Para 8. Budget	वर्ष 2011-12 के लिए बजट जानकारी के आभाव मे नही बन पाया था, प्ररन्तु वितीय वर्ष 2014-15 में पूर्णरूपेण सरकारी निर्देश का पालन करते हुये बजट पारित की गई है।
Para 9. Government grants	सरकारी ग्रान्ट रजिस्टर कर्मियों की कमी के कारण नही तैयार था, परन्तु अब निर्देशानुसार सभी सरकारी ग्रान्ट रजिस्टर मदवार तैयार की गई है, जिसे अगली आडिट में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

243

Para 10 (A) Short Deposit Of colleection money	श्री ध्रुव प्रसाद को इस संबध में नोटिश की गई है। चूकि वे सेवानृवित कर्मचारी है इस तरह की अन्य राशियो का समायोंजन उनके द्वारा नही कराये जाने के कारण उनका सेवान्त लाभ का भुगतान लबिंत है।
(B) Non/ short deposit of Miscellaneous collection	उल्लेखित दोनो व्यक्तियों से वसुली हेतू कारवाई की जा रही है। इन्हे राशि जमा करने की नोटिश दी गई है।
Para 11. (A) Holding Tax	नगर पंचायत चनपटिया अर्न्तगत मात्र दो ही टैक्स कलेक्टर हाने के कारण वसुली कार्य पूर्णतः नही हो पाया था, अभी दो स्थाई एवं एक अनुबंध पर टैक्स कलेक्टर रखे गये है, फलतः वसुली में सुधार है।
(B) Holding Tax dues on Government buildings	संबधित विभाग के पदाधिकारीयों को बराबर नोटिश दिया जा रहा हैं। इस संबध में विभाग से भी दिशा निर्देश की मांग की गई, परन्तु कोई ठोस कारवाई इस संबध नही हो पाया है।
Para 12. Non revision of assessment	आकेक्षण रिर्पोट दिये गये निर्देश के आलोक मे कर पुनिरिक्षण वर्ष 2014–15 में कराया जा रहा है। जिसमें स्वकर निर्धारण की कारवाई की जा रही है।
Para 13. Non – Remittance of Health & Education Sess	उक्त राशि नगर पंचायत चनपटिया के निधि मे जमा करा दी गई थी। नगर पंचायत चनपटिया का आर्थिक स्थिति

सुदृढ़ होते ही उक्त राशि को जमा करा दी जायेगी।

Para 14. Dues against Different mobils towers

नगर पंचायत अर्न्तगत 9 टावरो से विभागीय निर्देश के तहत वसुली की कारवाई की जा रही है।

Para 15. Tax & advertisement

प्रर्याप्त जानकारी के अभाव में इसकी वसुली नही हो पायी थी इसे लागु किया जा रहा है।

Para 16. Municipal licences.

नगर पंचायत चनपटिया में मांस मछली दुकानदारो से अनुज्ञाप्ति हेतू नोटिश दिया गया है, अन्य के लिए प्रस्ताव पारित होने के प्श्चात कारवाई की जायेगी।

Para 17. Non Realization of Stamp Duty

इस संबध मे सूचित करना है कि जानकारी के अभाव मे स्टाम्प डयुटी सैरातो के बन्दोबस्ती मे नही ली गई, परन्तु अकेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये निर्देश के तहत वितीय वर्ष 2014–15 मे 3 प्रतिशत की राशि वसुली की गई है।

Para 18 (A) Recruitment on contract basis & Payment of Rs. 8.45 Lakhs

इस संबध में नगर पंचायत चनपटिया के निर्वाचित मंडल द्वारा कार्य की अवश्यकता को देखते इन कर्मियो को अनुबंध पर रखा गया था तथा विभाग को बराबर समय – समय पर सूचना दी जाती रही है।

(B) Payment to daily wages staffs	(241) नगर पंचायत चनपटिया को साफ–सुथरा रखने के लिए दैनिक कर्मियो को रखा जाता रहा है। पूर्व 17 सफाई कर्मी स्थायी रूप में कार्यरत थे, जिसमे अधिकास मृत एवं सेवानिवृत हो चुके थे। फलतः वे नगर पंचायत के निर्वाचन मण्डल द्वारा पारित प्राकलन के आलोक में सफाई कर्मी रखे गये, उन्हे भुगतान किया है चूकि सफाई कार्य महत्वपूर्ण कार्य फिर भी दिशा निर्देश के तहत सरकार सेउक्त राशि खर्च की स्वीकृति प्राप्त करने की कारवाई की जायेगी।
Para 19. Payment of carriage of mettrial(Rs. 74.34 Lakhs)	नगर पंचायत चनपटिया मे सभी असैनिक निर्माण निविदा के द्वारा कराया जाता रहा है, जो पी0 डब्लु डी0 के रूल्स से गाईड होता है। प्राक्लन, विपत्र को कार्यपालक अभियंता द्वारा तक जॉच किया जाता है उसी विपत्र या मापी पुस्तिका में अंकित राशि के अनुसार सभी योजनाओं का भुगतान किया गया है मात्र विभागीय कार्यो मे ही एम एण्ड एम फार्म लगाया जाता है। अभिकर्तायो के विपत्र से आयकर वाणिज्य एवं रॉयलटी कटौती कर संबधित विभाग में जमा की जाती है। नगर पालिका को PWD कोड के अनुसार ही असैनिक निमार्ण कार्य कराना पडता है। अतः ऐसी कोई राशि वसुलनीय नही है।
Para 20. Non Deduction of Compensation for late completion of schemes Rs 4.10 Lakhs	इस संबध मे सूचित करना है कि नगर पंचायत पूर्णतः स्वशासी संस्थान है। निमार्ण कार्य में कई तरह की रूकावट आती रहती है, फलतः अभिकर्ता समय पर कार्य सम्पादन करने मे असमर्थ हो जाते है, विलम्ब के कारण सामग्रियो के मूल्य की बढोतरी के बावजुद नगर पंचायत द्वारा प्राकलन अथवा टेन्डर दर की ही भुगतान की जाती है। उचित कारणो के कारण कार्य पूर्ण होने पर विलम्ब होने पर

नगर पचायत बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विलम्ब शुल्क माफ कर दिया जाता है। समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए संवेदको को हिदायत दी जाती रही है।

para 21. Allotment of work to single Tenderer (67.60 Lakhs)

अरौनिक निमार्ण कार्य की निविदा समाचार पत्रो में प्राकाशित कराया जाता रहा है सरकारी आवंटन को खर्च करना भी आवश्यक होता है किसी किसी योजना मे एकल टेन्डर प्राप्त हुये है, जिनका दर प्राक्कलित दर से कम होने पर कार्य की आवश्यकता को देखते हुये कराया जाता रहा है, आडिट रिर्पोट प्राप्त होने पश्चात एकल टेन्डर की मान्यता नही दी जा रही है तथा ऐसा होने पर उच्च अधिकारीयों से अनुमति ली जायेगी।

Para 22. Payment of gratuity (Rs 17.17 Lakhs)

कर्मचारियों का सर्विस बुक पूर्व से ही नही खोला गया। सेवा निवृत कर्मचारियों की उपस्थिति बही के गणना अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया , जिसकी गणना पंजी संचिका नगर पचायत मे अभी उपलब्ध है ऐसी परिस्थिति में भुगतान को सही मानने की कृपा की जाय।

Para 23. Payment in excess of the agreed amount in schemes (Rs 0.80 Lakhs)

संबधित कर्मियो को नोटिश दी गई है कि किस अधार पर प्राकलित राशि यथा एकरारनामा की राशि से अधिक भुगतान किया गया। अभी जवाब अप्राप्त है। जवाब प्राप्त होने पर उचित कारवाई की जायेगी।

Para 24. Non production of vouchers

अगले अंकेक्षण मे अभिश्रवो को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अडिट के समय संबधित कर्मचारी कार्यरत नही थे

(239)

Para 25. Sanctioned strength and men in position	कर्मचारियों की कमी को देखते हुये अनुबंधित कर्मचारियों का रखा गया है। जिसमे कार्य कराया जाता है।
Para 26. Advance	अग्रीम पंजी नगर पंचायत चनपटिया में संधारित है तत्कालीन प्रधान सहायक द्वारा क्यो नही उसे आडिट के समय प्रस्तुत किया गया। इस संबध में उन्हे नोटिश दी गई है।
27 कार्यपालक पदाधिकारी के साथ वार्तालापः–	सूचनात्मक पारा है, विलोपित करने की कृपा की जाए।

प्राप्त आडिट रिर्पोट एवं इसके जवाब को नगर पंचायत चनपटिया के निर्वाचित मंडल की बैठक में दिनांक 20.01.2015 को प्रस्तुत किया गया, जिसकी स्वीकृति सर्व सम्मति से दी गई है।

विश्वासभाजन

19/08/16

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चनपटिया।